छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

1—तिलक नगर, शिव मन्दिर चौक, मेन रोड,
अवन्ति विहार, रायपुर (छ.ग.)

O/o C. E. (PRG I)
R. No. 6937
Date 23 NOV 2011
CSEB RAIPUR

क्रमांक 4975 / मु. / तक. / छ.ग.प.सं.मं. / 2011 रायपुर, दिनांक 21 / 11 / 2011

प्रति,

चीफ इंजिनियर (पीआरजी—1),
मेसर्स छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रीकसिटी बोर्ड,
ऑफिस ऑफ द चीफ इंजिनियर (पीआरजी—1),
सेड न0—03, डगनिया, रायपुर,
जिला—रायपुर (छ.ग.) 492 013

विषय :— छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा thermal Power Plant - 2×500 MW के लिए उद्योग को जारी स्थापना सम्मति की वैधता अवधि निर्धारित करने बाबत्।

सन्दर्भ :— 1. आपकी इकाई को जारी स्थापना सम्मति क्रमांक 2230 दिनांक 05 / 05 / 2008
2. बोर्ड की 23 वीं बैठक दिनांक 26 / 11 / 2010 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मंडल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 537 दिनांक 02 / 05 / 2011

----:oo:----

उपरोक्त विषय में लेख है कि संदर्भ (1) पर उल्लेखित पत्र द्वारा छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आपके उद्योग को कतिपय इकाईयों की स्थापना हेतु सशर्त स्थापना सम्मति प्रदान की गई थी।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल की 23 वीं बैठक दिनांक 26 / 11 / 2010 के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक—06 में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् जारी किये जाने वाले स्थापना सम्मति की वैधता अवधि निर्धारित करने के संबंध में लिये गये निर्णय अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :—

1. पूर्व में जारी स्थापना सम्मति के प्रकरणों में, जिन्हे अभी तक संचालन सम्मति जारी नहीं की गई है, उनको पूर्व में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् जारी किये गये स्थापना सम्मति में भी इस बाबत् आदेश जारी दिनांक से आगामी 5 वर्ष की अवधि की वैधता अवधि निर्धारित करने के संबंध में शर्त अधिरोपित कर सूचित किया जावे।

अतः उक्त निर्णय के अनुक्रम में संदर्भ (1) पर अंकित पत्र में निम्नानुसार अतिरिक्त शर्त जोड़ी जाती है।

अतिरिक्त शर्त :— 1. यह स्थापना सम्मति दिनांक 02 / 05 / 2011 से पॉच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी। तथा इस अवधि में उद्योग स्थापना हेतु स्थल पर निर्माण संबंधी कार्यवाही आरंभ न किये जाने की दशा में स्थापना सम्मति निरस्त मानी जावेगी। उद्योग स्थापना की दिशा में स्थल पर निर्माण संबंधी की गई कार्यवाहियों के आधार पर पूर्व में जारी स्थापना सम्मति में वैधता वृद्धि करने / वैधता वृद्धि न करने / निरस्त करने / वापस लेने की कार्यवाही का अधिकार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का होगा।

कृपया सूचित हो।

18/11/11
सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)

AEM 52 (RK)
MR-02

\\10.132.198.114\trend micro\P.sir\23th Meeting Letter KRB & BSP .doc- 15 -